असाइनमेंट – 2

पाठ्यक्रम कोड: MEDS-042
अधिकतम अंक: 100

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है।

1. राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति (National Urban Sanitation Policy) के प्रमुख उद्देश्यों का मूल्यांकन कीजिए। शहरी जनस्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी व्यवहार में परिवर्तन लाने में यह नीति किस सीमा तक सफल रही है?

2. नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (Municipal Solid Waste) की विभिन्न श्रेणियों एवं उनकी विशेषताओं का वर्गीकरण कीजिए। वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने में नीतिगत उपायों एवं वैधानिक नियमों की प्रभावशीलता का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

3. शहरी औद्योगिक समूहों (Urban Clusters) से उत्पन्न होने वाले औद्योगिक प्रदूषण के प्रमुख रूपों का परीक्षण कीजिए। विशेष रूप से जनस्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर इसके दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक प्रभावों की चर्चा कीजिए।

4. शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था (Urban Informal Economy) की परिभाषा दीजिए। शहरी रोजगार सृजन में इसके योगदान का मूल्यांकन कीजिए तथा सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के समक्ष विद्यमान संरचनात्मक चुनौतियों की चर्चा कीजिए।

5. "शहरी सुरक्षा केवल पुलिस व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय शासन (Regional Governance) तक विस्तृत है।" इस कथन की विवेचना कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि समन्वित क्षेत्रीय शहरी शासन किस प्रकार प्रणालीगत कमजोरियों को कम कर सकता है तथा शहरी सुरक्षा को सुदृढ़ बना सकता है।

1. राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति (National Urban Sanitation Policy) के प्रमुख उद्देश्यों का मूल्यांकन कीजिए। शहरी जनस्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी व्यवहार में परिवर्तन लाने में यह नीति किस सीमा तक सफल रही है?

उत्तर

परिचय और नीति की पृष्ठभूमि

भारत में तेजी से बढ़ते नगरों के सामने खुले में शौच, असुरक्षित सीवेज, अपर्याप्त सार्वजनिक शौचालय तथा मलजल के अनुचित निपटान जैसी समस्याएँ लंबे समय से रही हैं। इनका असर गरीब बस्तियों, महिलाओं, बच्चों और घनी आबादी वाले इलाकों पर विशेष रूप से पड़ता है। इसी पृष्ठभूमि में वर्ष 2008 की राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति बनाई गई। इसका मूल विचार केवल शौचालय बनाना नहीं, बल्कि पूरे शहर में ऐसी स्वच्छता व्यवस्था विकसित करना था जो सबके लिए सुरक्षित, सुलभ, किफायती और टिकाऊ हो। नीति में स्वच्छता को जनस्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण तथा गरिमापूर्ण जीवन से जोड़ा गया।

नीति के प्रमुख उद्देश्य

पहला उद्देश्य सभी शहरों को पूर्ण स्वच्छ, स्वस्थ और रहने योग्य बनाना था। इसका आशय यह था कि खुले में शौच समाप्त हो, मानव मल का सुरक्षित संग्रह और उपचार हो तथा नालियों और जलस्रोतों में गंदगी न पहुँचे। दूसरा उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए स्वच्छता सेवाओं तक न्यायसंगत पहुँच सुनिश्चित करना था। भूमिहीन, झुग्गी-निवासी और कम आय वाले परिवारों के लिए सामुदायिक अथवा सार्वजनिक सुविधाओं की विशेष आवश्यकता पहचानी गई। महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान, गोपनीयता और नियमित रखरखाव पर भी बल दिया गया।

तीसरा उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन था। हाथ धोना, शौचालय का नियमित उपयोग, बच्चों के मल का सुरक्षित निपटान तथा शौचालय की सफाई जैसे व्यवहारों को केवल निजी पसंद नहीं, सामूहिक स्वास्थ्य की आवश्यकता माना गया। चौथा उद्देश्य शहर-व्यापी समेकित स्वच्छता योजना बनाना था, ताकि शौचालय, नाली, सीवरेज, सेप्टिक टैंक, उपचार संयंत्र और अंतिम निपटान अलग-अलग योजनाओं में बिखरे न रहें। पाँचवाँ उद्देश्य नगरीय निकायों की संस्थागत क्षमता, वित्तीय प्रबंधन, निगरानी और नागरिक भागीदारी को मजबूत करना था।

क्रियान्वयन की व्यवस्था और उपलब्धियाँ

नीति ने राज्यों को स्वच्छता रणनीतियाँ और नगरों को शहर स्वच्छता योजनाएँ बनाने की दिशा दी। शहरों के मूल्यांकन और रेटिंग, प्रशिक्षण तथा जागरूकता अभियानों का विचार भी इसके साथ जुड़ा। आगे चलकर स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) जैसे कार्यक्रमों ने शौचालय निर्माण, सामुदायिक सुविधाओं और खुले में शौच से मुक्ति को व्यापक जन-अभियान बनाया। अनेक नगरों में व्यक्तिगत और सार्वजनिक शौचालयों की उपलब्धता बढ़ी तथा नगरपालिका स्वच्छता राजनीतिक और